

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-33/नेत्र सहायक/एम 99/2018/512

दिनांक: 8/01/19

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.11(7)एफ.डी./नियम/2008 दिनांक 12.9.2008, एफ.14(88)वित्त(नियम)/2008-1 दिनांक 31.12.2009 एवं संशोधित आदेश क्रमांक प.14 (8) वित्त (नियम)/2008 दिनांक 5.7.2013 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित कार्मिक का निम्नानुसार सेवा अवधि पूर्ण किये जाने पर एसीपी स्वीकृत की जाती है :-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी, पद एवं पदस्थापन स्थान	प्र.नि. दिनांक	पूर्ण सेवावधि	एसीपी स्वीकृति दिनांक	स्वीकृत एसीपी L -11
1.	श्री सोमोती लाल बैरवा नेत्र सहायक सीएचसी बान्दीकुई, दौसा।	13.8.87	27 वर्ष	13.8.2017	52300

उक्त कार्मिक के दिनांक 1.6.2002 के बाद दिनांक 14.3.2011 को संतान उत्पन्न हुई है, इस कारण वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के द्वारा माह जनवरी, 2018 को जारी आदेश की पालना में 27 वर्षीय देय एसीपी 3 वर्ष बाद दिनांक 13.8.2017 से निर्धारित की गई है।

कार्मिक का वेतन निर्धारण एसीपी स्वीकृति के फलस्वरूप संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार किया जावेगा।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज0 जयपुर

क्रमांक: ई-33/नेत्र सहायक/एम 99/2018/512

दिनांक: 8/01/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा।
2. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बान्दीकुई, दौसा।
3. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को वास्ते अपलोड।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज0 जयपुर